प्रेस विज्ञप्ति

अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूर्ण कराने एवं होम बायर्स को राहत पहुंचाने के उद्देशय से शसानादेश संख्या 3804/77-4-19-142एन/08 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा ऐसी बिल्डर परियोजना जिनमें प्राधिकरण स्तर पर कब्जा हस्तगत न किये जाने के कारण/शासन स्तर/प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम पट्टा प्रलेख निष्पादित न हो पाने के कारण/मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश कारण/भूखण्ड तक पहुंच मार्ग न होने के कारण विलम्ब हुआ है, इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में बिल्डर से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर केस टू केस परीक्षण कर शून्य अवधि एवं परियोजना पूर्ण कराये जाने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु शासन के निर्णय को प्राधिकरण की दिनांक 31.01.2020 को सम्पन्न हुयी 198वीं बोर्ड बैठक में अंगीकृत कर लिया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा फ्लैट बायर्स को राहत पहुंचाने के उद्देशय से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में विकासकर्ता मैसर्स लॉजिक्स ग्रुप के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कर लॉजिक्स ग्रुप को आवंटित भूखण्ड संख्या जी0एच0-01 सैक्टर-143 में 22.09.2017 से 21.09.2019, जी0एच0-02 सैक्टर-143 में 08.08.2018 से 07.08.2020 एवं जी0एच0-02 सैक्टर-137 में 29.01.2017 से 28.01.2019 तक दो वर्ष के समय विस्तरण की सुविधा प्रदान की गयी है। लॉजिक्स ग्रुप को समय विस्तरण के रूप में प्रदान की गई इस सुविधा से लगभग 4707 फ्लैट बायर्स लाभान्वित होंगे।

मैसर्स ग्रेट वैल्यू इण्डिया लि0 को आवंटित भूखण्ड संख्या जी0एच0-02 सैक्टर-107 को दिनांक 12.07.2017 से 11.07.2019 तक दो वर्ष समय विस्तारण से लगभग 120 फ्लैट बायर्स, मैसर्स आई0वी0 काउण्टी प्रा0 लि0 को आवंटित भूखण्ड संख्या जी0एच0-5 सैक्टर-121 को दिनांक 18.01.2018 से 17.01.2021 तक तीन वर्ष समय विस्तारण से लगभग 435 फ्लैट बायर्स तथा मेसर्स अजनारा इण्डिया लि0 को आवंटित भूखण्ड संख्या जी0एच0-1बी सैक्टर-74 को दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2019 तक दो वर्ष समय विस्तारण से लगभग 255 फ्लैट बायर्स लाभान्वित होंगे। इस प्रकार इन छः प्रकरणों में उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी सुविधा से नौएडा क्षेत्र के लगभग 5517 फ्लैट बायर्स लाभान्वित होंगे।

ग्रुप हाउसिंग विभाग में उक्त शासनादेश के अन्तर्गत प्राप्त अन्य विकासकर्ताओं के प्रत्यावेदनों का परीक्षण कार्य भी किया जा रहा है। शासनादेश के अन्तर्गत प्राधिकरण के समक्ष अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परीक्षणोंपरान्त शून्यअवधि एवं समयविस्तरण की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जायेगी जिससे शासन की मंशानुसार अधिक से अधिक फ्लैट बायर्स को भवन का कब्जा हस्तगत कराया जा सके।

Scanned with CamScanner